शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./राशिके/वित्त/**NPS**/2022/ 4047 भोपाल, दिनांक : 04.7.22

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले
म.प्र.।

विषयः—समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक संवर्ग की **NPS** की राशि **Cyber Treasury** के माध्यम से जमा किए जाने के संबंध में।

संदर्भः—1. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र कमांक/राशिके/वित्त/**NPS**/2022/3228, भोपाल दिनांक—17.05.2022

2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक/राशिके/वित्त/**2016**/9284, भोपाल दिनांक—30.12.2016

जैसा कि विदित है, वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र तथा जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाता है। इस वेतन भुगतान की प्रकिया में माह जुलाई 2022 से संशोधन किया जा रहा है। अब उक्त कार्यालयों में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रतिमाह जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से ही किया जाएगा। इस हेतु विकासखण्ड के डीडीओ से जिले के डीडीओ में इन कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाना होगा जिसकी प्रकिया संलग्न है।

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र तथा जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापकों का NPS निम्नानुसार जमा किया जाना है—

1. जिला शिक्षा केन्द्र, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र तथा जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों जिनका Treasury Employee Code बन चुका है। उनका कर्मचारी अंशदान 10% NPS कटौत्रा राशि एवं 14% विभाग का NPS अंशदान की राशि मिलाकर जिला शिक्षा केन्द्र में संचालित ऑनलाइन खाते में प्रतिमाह जमा की जाएगी।
2. ऑनलाइन खाते में जमा की गई NPS की कुल राशि (10+14 प्रतिशत) को जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रतिमाह Cyber Treasury के माध्यम से संबंधित के NPS खाते में जमा कराई जाएगी।
3. Cyber Treasury के माध्यम से NPS जमा किए जाने की नवीन प्रकिया माह जून 2022 के वेतन से प्रारंभ की जाएगी।
4. संदर्भित पत्र कमांक—2 अनुसार जिन जिलों ने अलग से ऑनलाइन खाता नहीं खुलवाया है वे तदनुसार बैंक खाता खुलवाकर उक्तानुसार कार्यवाही करें।
5. Cyber Treasury के माध्यम से भुगतान किए जाने की प्रकिया पत्र के साथ संलग्न है. जिसके बारे मे दिनाक 14.06.2022 की Video Confrencing में बताया जा चुका है, जिस अनुसार जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा कार्यवाही की जाना है।

6. NPS की राशि प्रतिमाह 10 तारीख के पूर्व जमा करने के लिए सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) एवं जिला परियोजना समन्वयक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगें।
7. जिन NPS कर्मचारियों का Treasury Employee Code अभी तक नहीं बना है उनका Treasury Employee Code जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शीघ्र बनवाने की प्रकिया की जाना है, ताकि Employee Code बनने के उपरांत Cyber Treasury के माध्यम से NPS जमा किया जा सके। जिन NPS कर्मचारियों का Treasury Employee Code अभी तक नही बना है उनके NPS जमा किए जाने की कार्यवाही पूर्व प्रकिया अनुसार ही की जाएगी, जिसकी जानकारी जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा पृथक से राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
8. जिन कर्मचारियों का पूर्व माहों का NPS जमा नहीं हुआ है, उन कर्मचारियों से NPS Statement प्राप्त कर प्रतिनियुक्ति के समय की Missing NPS की जानकारी प्राप्त करें। परीक्षण उपरांत Missing NPS की जानकारी राज्य कार्यालय को share की गई Google sheet के माध्यम से उपलब्ध कराएं।
9. राज्य शिक्षा केन्द्र के संदर्भित पत्र कमांक–1 अनुसार चाही गई जानकारी share की गई Google Sheet में अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(धनराजू एस) 01/07/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र,
भोपाल म.प्र.

पृ.क्र./राशिके/ वित्त/NPS/2022/4048 भोपाल, दिनांक : 04.7.22

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, पेंशन म. प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र तथा जनशिक्षा केन्द्र समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01/07/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

<u>साइबर ट्रेजरी से प्रतिमाह एनपीएस की राशि जमा करनें के पूर्व बीआरसी कार्यालय के डीडीओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को जिला शिक्षा केन्द्र के डीडीओं में मेप करने की प्रकिया:--</u>

1— सर्वप्रथम बीआरसी द्वारा डीडीओं लॉगिन के माध्यम से एजूकेशन पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके पश्चात HRMIS Module में Payroll Management System पर क्लिक करें।

2- Payroll Management System में Request ->> Transfer Employee आप्शन को सिलेक्ट करें।

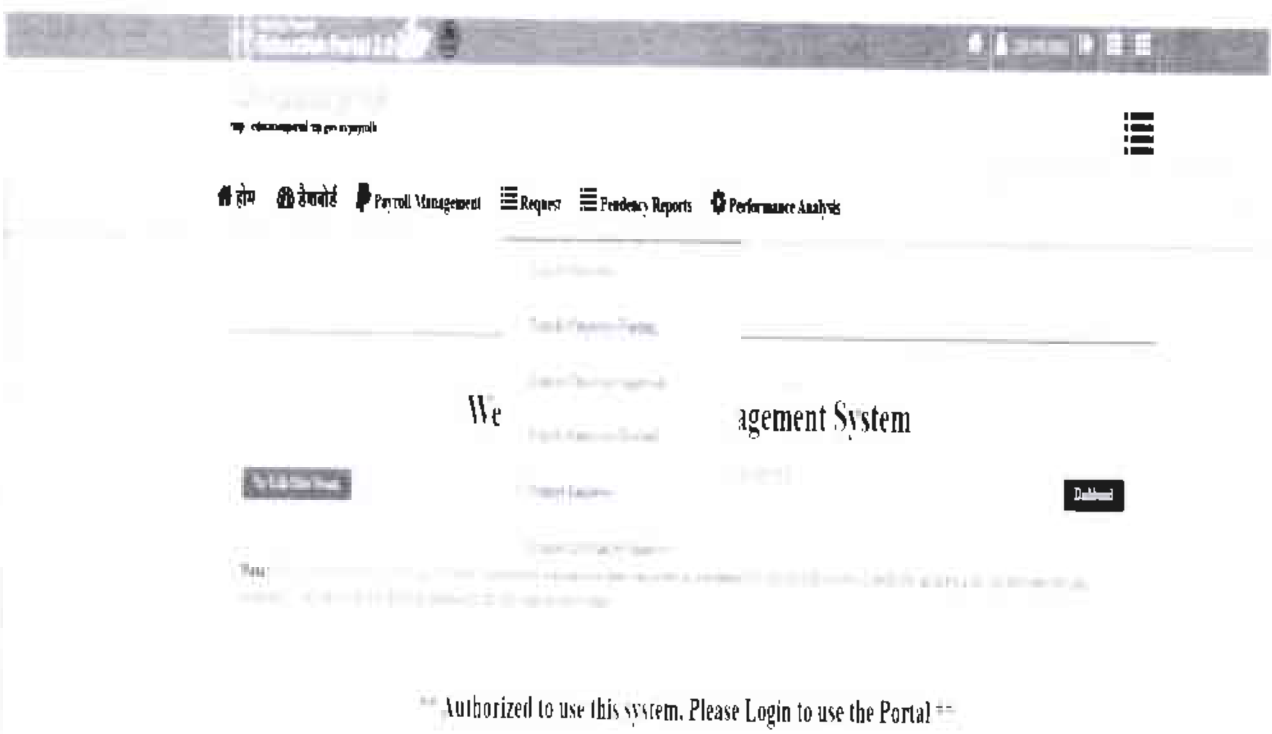

3- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी जिनका वेतन बीआरसी से बनाया जाता है एवं एनपीएस काटा जाता है उनका पोर्टल में उपलब्ध यूनिक आई डी दर्ज करें जिससे समस्त विवरण प्रर्दशित होगा। पेमेंट अर्थारिटी कोड जिला शिक्षा केन्द्र का दर्ज करें तथा आफिस कोड बीआरसी कार्यालय का दर्ज किया जायेगा। रिर्माक में एनपीएस हेतु कार्य दर्ज करें। माह जुलाई 2022 दर्ज करके रिक्वेस्ट सबमिट करें तथा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी लॉगिन से इसको Approve करने की कार्यवाही की जायेगी तत्पश्चात उक्त कर्मचारी जिला शिक्षा केन्द्र के डीडीओं में वेतन जनरेट करने हेतु प्रर्दशित होगे।

GO TO MPTREASURY.GOV.IN/

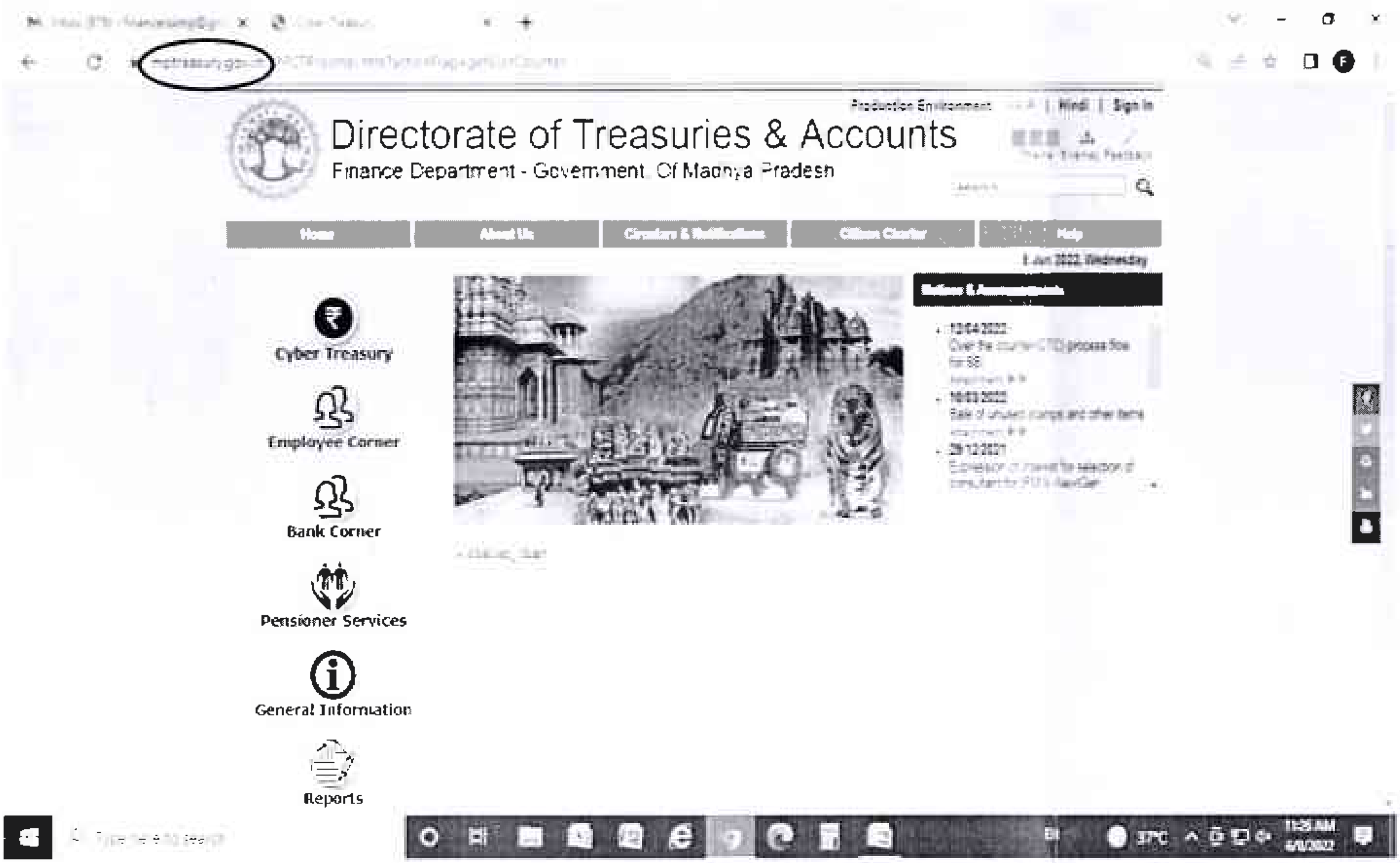

Click on cyber Treasury

Click on unregistered user

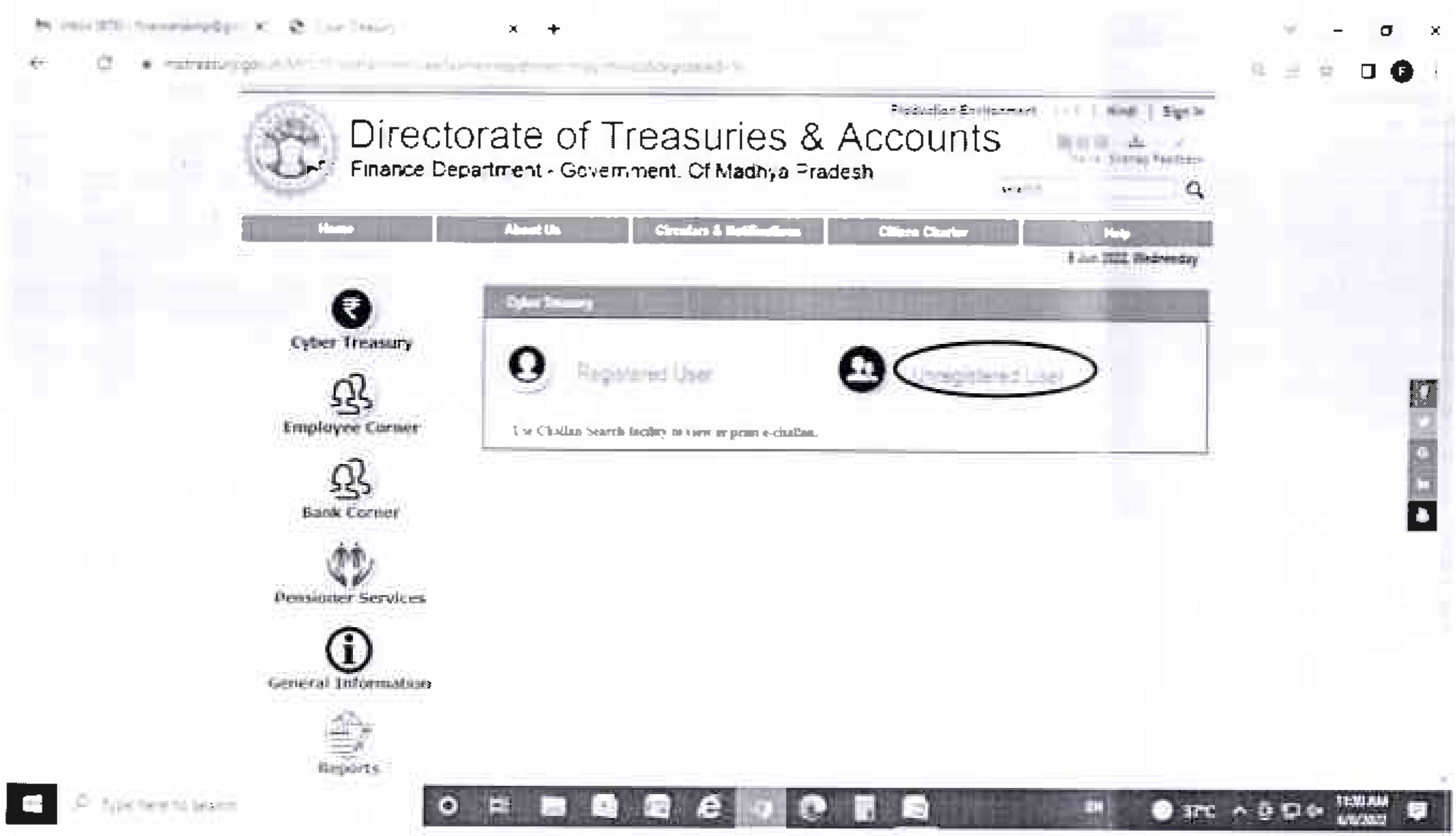

Click on NPS Contribution

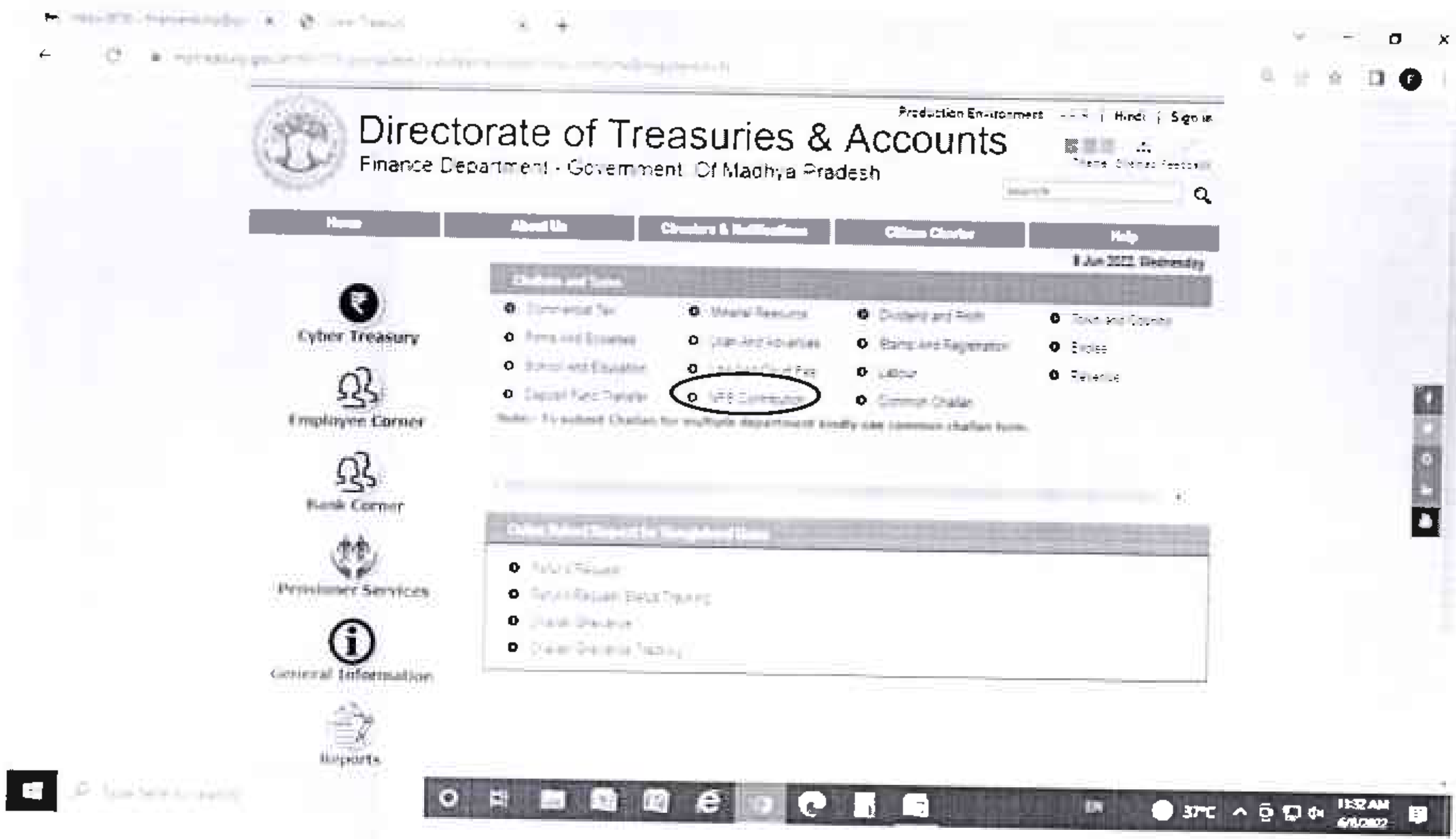

Fill Employee code, year, month and Purpose than validate

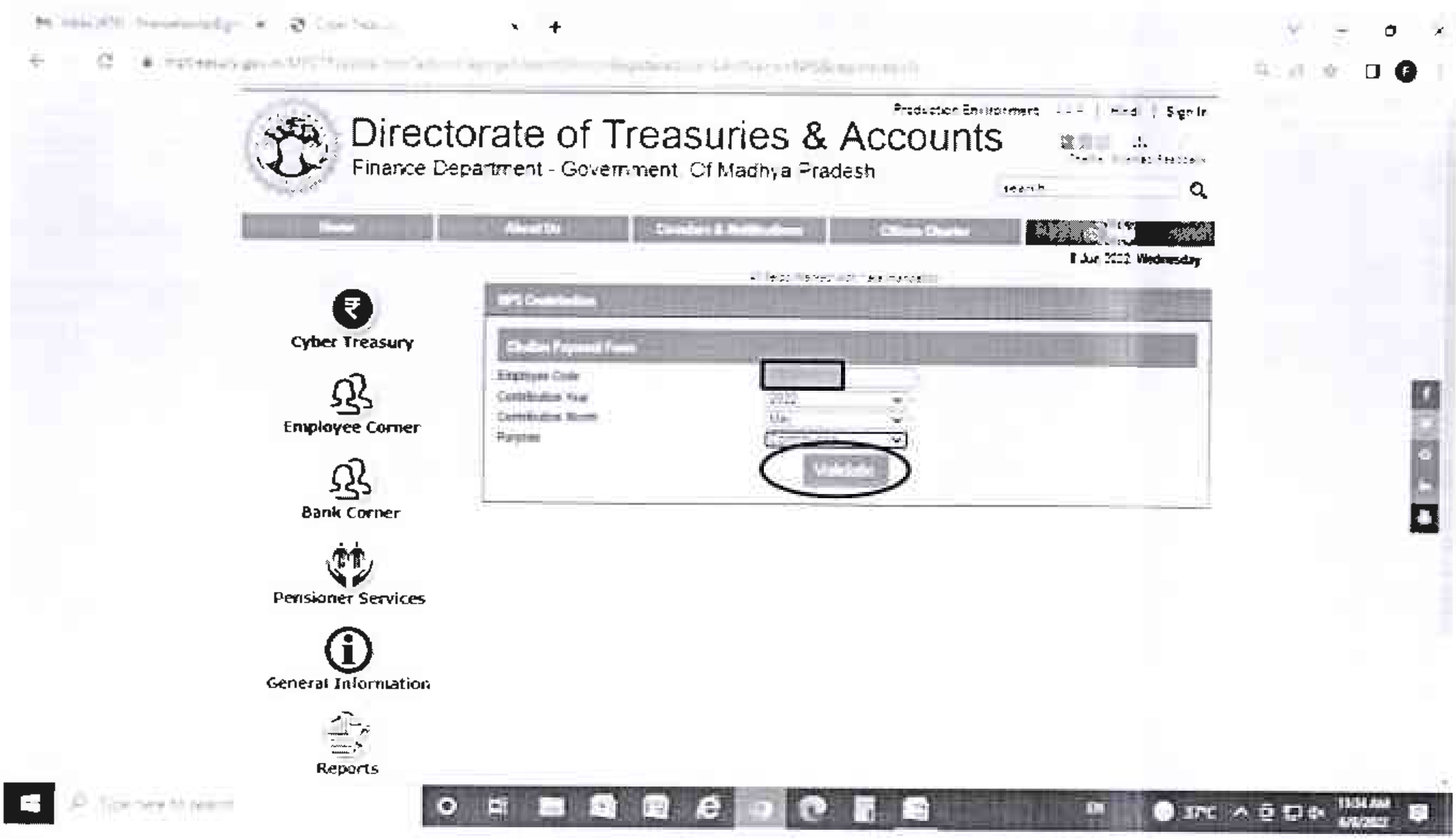

Fill all required information

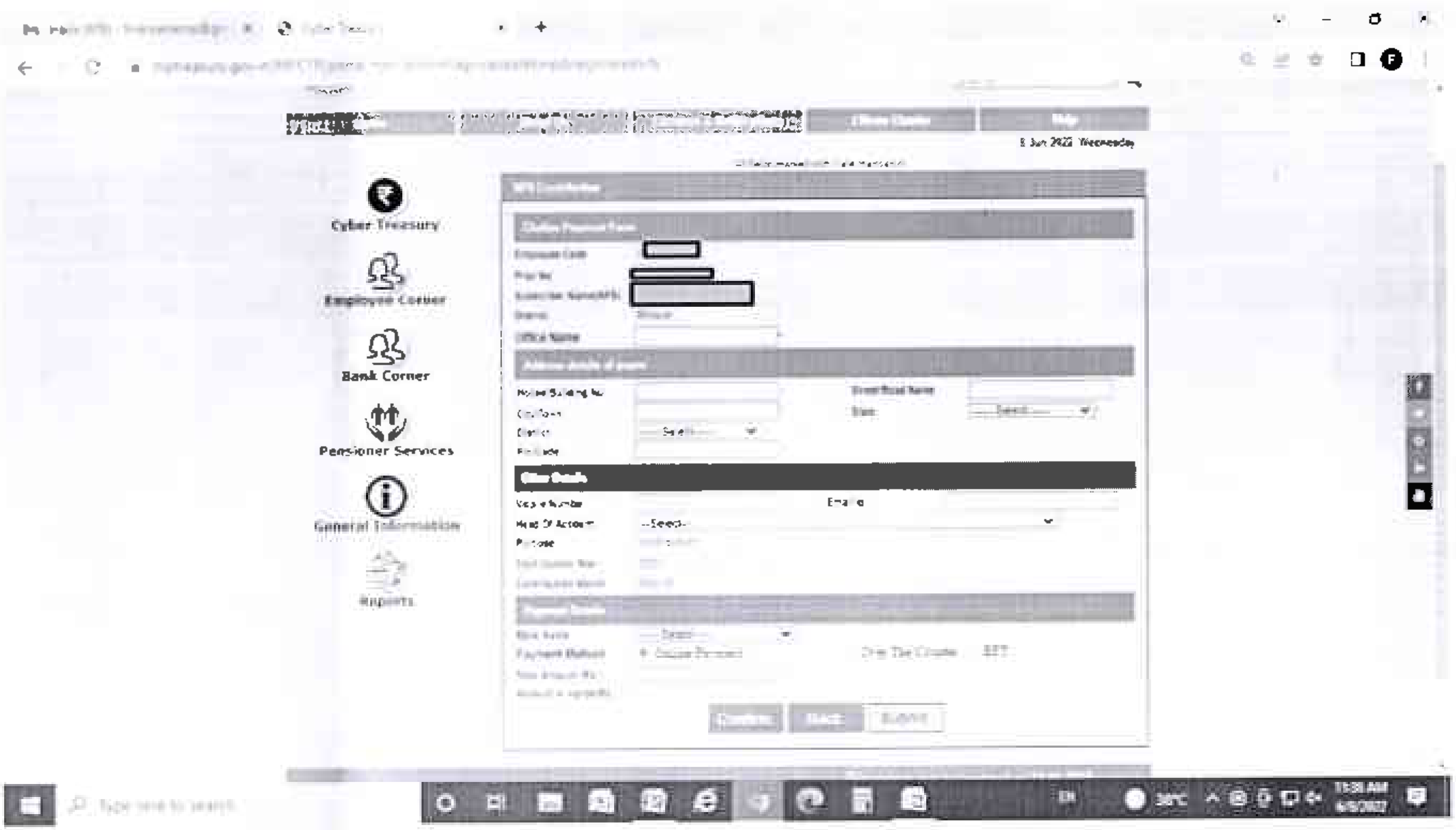

Fill information than click on submit. it will link to bank server

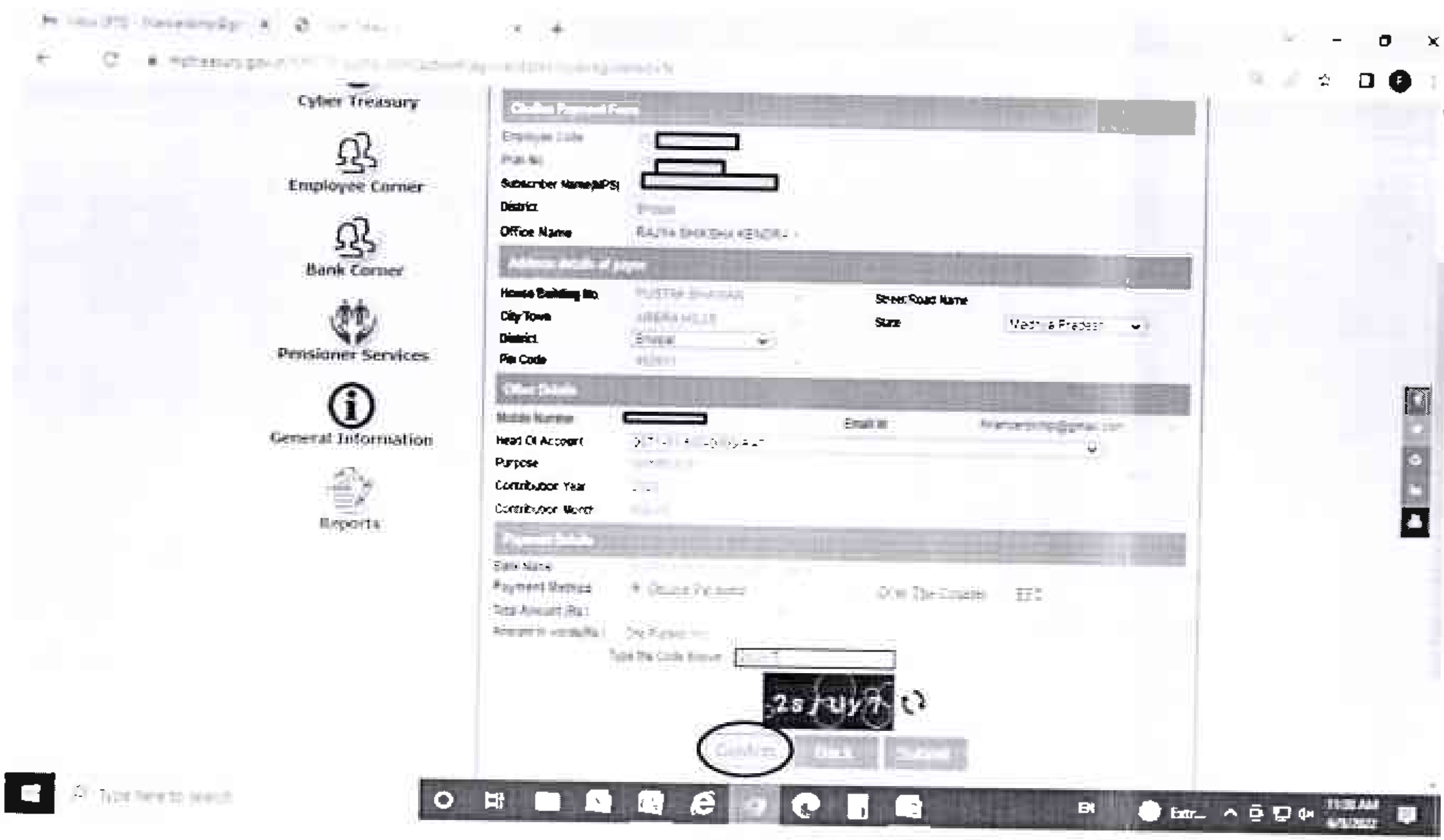

Click on SBI net banking

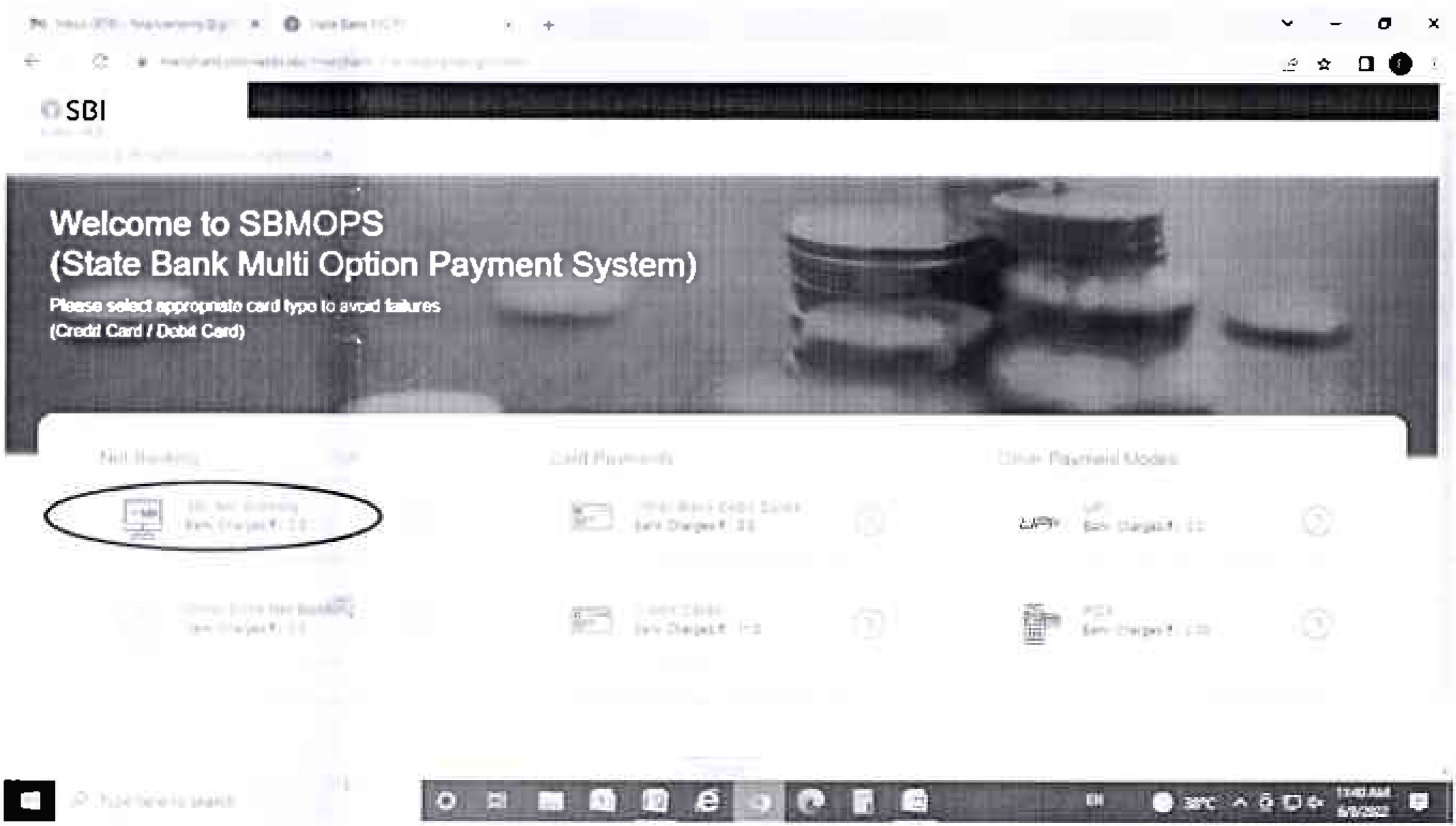

Click on corporate banking and login with user ID and Password

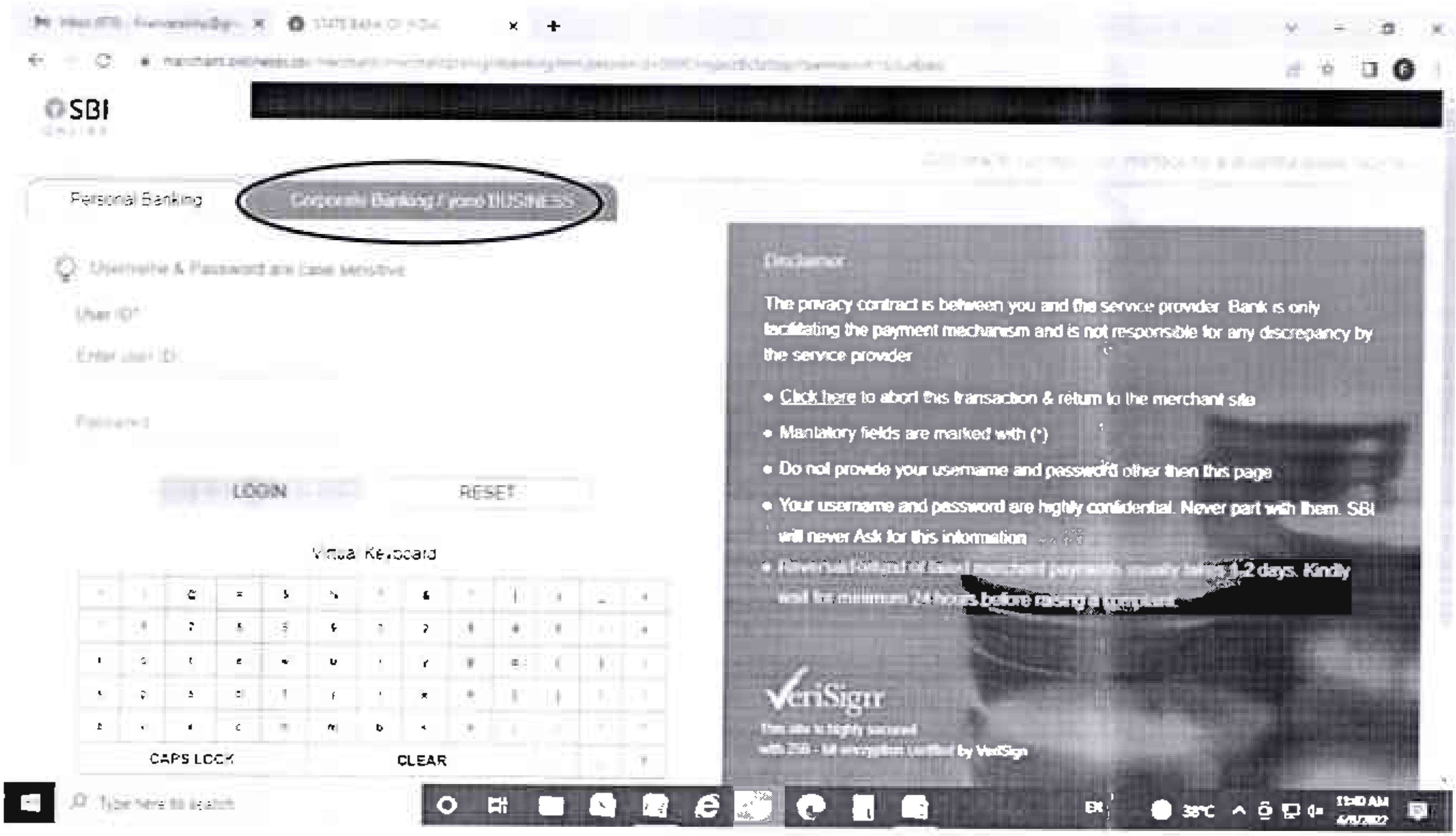

Select your bank account and recheck filled information than submit

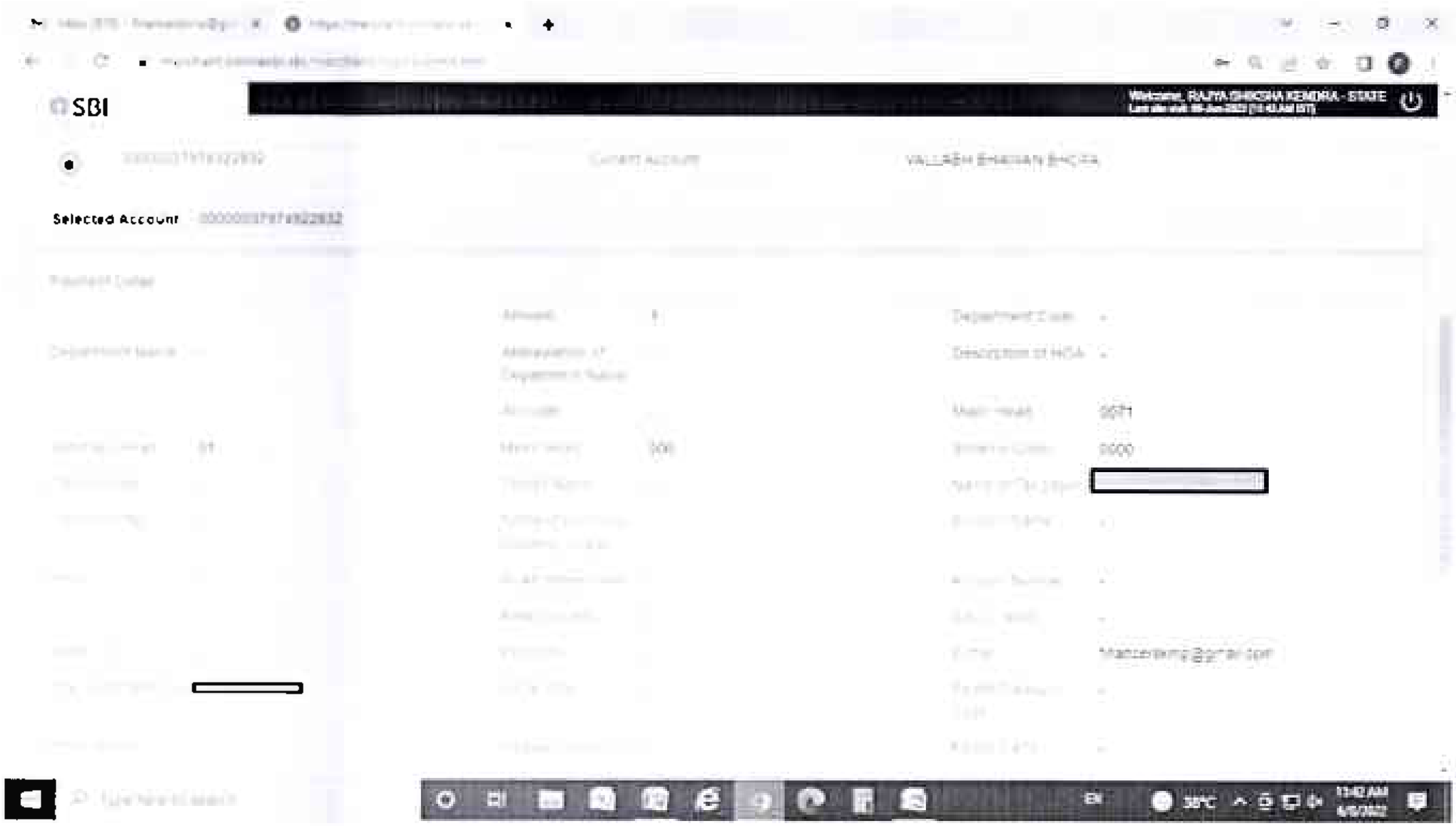

- Fill OTP, received on your registered Mobile Number and submit. After successful transaction, It will redirect to MP treasury and generate challan for further use.